

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोतमबुद्धनगर।  
पत्रांक:भ-4/सीएफओ/जीबीएन-10(2)/210 दिनांक:फरवरी 2010.  
सेवा में

प्रभारी, (भवन प्रकोष्ठ)  
नौएडा सेक्टर-6  
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

**विषय:** मैसर्स लोजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जीएच-02, सेक्टर-137 में नौएडा जनपद गोतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रेजीडेन्शियल अपार्टमेंट भवन निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के सम्बन्ध में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक मैसर्स लोजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जीएच-02, सेक्टर-137 में नौएडा जनपद गोतमबुद्धनगर द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित:02-02-2010 के द्वारा प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध में मानचित्रों का परीक्षण कर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में प्रस्तुत मानचित्रों एवं प्रश्नोत्तरी का अध्ययन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 1- मानचित्रों में भवन के सामने रोड की चौड़ाई मानको के अनुरूप दर्शाई गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं।
- 2- भवन के निर्माण हेतु कुल-99771.36 वर्ग मी का प्लॉट है जिसमें से 14240.74 वर्ग मी० पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है भवन में दो बेसमेंट के अतिरिक्त भूतल से 20 वे तल तक 08 आवासीय ब्लॉक तथा 01 क्लब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है 08 ब्लॉक में कुल टावर-ए०,सी,डी,ई०,एफ०,जी०,एच०,आई०,जे०,जे०-1,के०,एल०,एम०एन०,ओ०,पी०,क्यू० निर्माण कराये जाने हैं तथा सभी ब्लॉक एवं टावरों की उँचाई 59.95 मीटर है।
- 3- भवन के दोनो बेसमेंट (लोवर एवं अपर) का कवर्ड एरिया- 25800 वर्ग मी० प्रत्येक का, कुल कवर्ड दोनो का-51600 वर्ग मी०।

#### 4- स्टेयर केस एवं लिफ्ट

भवन के प्रत्येक ब्लॉक में नीचे के तलो से उपरी तलो तक जाने व उपरी तलो से नीचे तलो तक आने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में दो लिफ्ट एवं दो स्टेयर केस का प्राविधान एन०बी०सी०-2005 के क्लाज-4.6 का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है तथा किसी भी आपात स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग न किया जाये।

#### 5- सैटबेक

मानचित्रों में भवन के चारो तरफ अंकित सैटबेक को छोड़ा जाना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध में नौएडा आथर्टी के नियमों एवं एन०बी०सी०-2005 के मानको का पालन किया जाना आवश्यक है जिसमें से 08 मीटर मोटरेबुल सैटबेक हार्ड सरफेस युक्त होना अनिवार्य होगा जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाये भवन के सैटबेक में किसी भी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण न कराया जाये।

#### 6- जीव रक्षा के सुझाव

1. भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाये कि किसी भी अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 एयर चेन्ज व साधारण स्थिति में 12 चेन्ज होना आवश्यक है।

2. भवन में स्प्रिंकलर एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-4.12.1 से 4.12.3 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
3. यदि भवन के किसी भाग को सेन्ट्रली एयर कण्डीशन बनाया जाता है तो एयर कण्डीशन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
4. भवन में ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-सी 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।
5. भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

#### 7-एन0बी0सी0 पार्ट-4,2005 के मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझाव-

- 1- भवन में अग्निशमन कार्यों के लिए भवन को दो जोन में विभक्त कर प्रत्येक जोन हेतु 3,00,000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टैंक, 10,000 लीटर पानी की क्षमता का टेरिस टैंक प्रत्येक टावर पर स्थापित किया जाये। दोनों टैंकों को जोड़ते हुए वेटराइजर कम डाउनकामर का प्राविधान किया जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज कैबिनेट स्थापित किये जाये एवं प्रत्येक होज कैबिनेट में दो दो अदद आर0 आर0 एल0 होज पाइप 15-15 मीटर व स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जाये।
- 2- भवन को जोन में विभक्त कर दोनों जोन के लिए वेटराइजर कम डाउनकामर को सदैव पानी से प्रेशर युक्त बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास प्रत्येक जोन के लिए 2280 एलपीएम के दो दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक-एक अदद डीजल चालित पम्प, 180 एलपीएम का विद्युत चालित जौकी पम्प स्थापित किये जाये। वेटराइजर कम डाउनकामर के नीचे व उपर की तरफ एन0आर0वी0 व उपर की तरफ एय रिलीज वाल्व तथा भूतल पर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया जाये।
- 3- सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये।
- 4- भवन के चारों ओर रिंग मेन डालकर उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस का प्राविधान किया जाये।
- 5- भवन के प्रत्येक तल पर मेनुअल आपरेटिड ईलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम व आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाये जिसका मेन पैनल कम से कम 02 घण्टे की बैट्री बैकअप सिस्टम से युक्त होना आवश्यक।
- 6- भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जाये ताकि आपातस्थिति में भवन के अन्दर कार्य लोगो को अवगत कराकर बाहर निकाला जा सके।
- 7- भवन के अन्दर फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिए एन0बी0सी0-2005 के क्लॉज सी-5 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
- 8- भवन में स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति देखरेख में कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्नि अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ-2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी-6 में दिये गये निर्देश पालन किया जाये।

अतः मैसर्स लोजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जीएच-02, सेक्टर-137 में जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आख्या इ के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्मा

विकास उपविधि-2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005, उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005, एवंत त समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(हस्ताक्षर)

गोतमबुद्धनगर  
अग्निशमन विभाग  
गोतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: मैसर्स लोजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जीएच-02, सेक्टर-137 मे नोएडा जनपद गोतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।